

पंजीकृत 10/04/2006 351
बिहार सरकार
मानव संसाधन विभाग, बिहार

दिनांक :

उत्तर भुगार सिंह,
सरकार के उप सचिव
मानव संसाधन विभाग, बिहार।

सेवा में

आयुक्त,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा क्षेत्र, 3 मजमुनिये रोड,
नई दिल्ली-110092।

पृष्ठा, दिनांक 03/06/09

विषय :

गिल्सी गहलू रसूल, तालीगाबाद, टप्पू, ताराबाड़ी चौक, किशनगंज जे सी 04/0एस 0050, नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

संदर्भ,

उपरोक्त विषय के संबंध में, निदेशानुसार सूचित किया है कि अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 03-04-2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकाारी, किशनगंज से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा विभागीय सचिव द्वारा दिनांक 06-01-2009 की बैठक में की तथा गिल्सी गहलू रसूल, तालीगाबाद, टप्पू, ताराबाड़ी चौक, किशनगंज जे सी 04/0एस 0050, नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गई है। समीक्षापरान्त स्थिति निम्नवत् है :-

1. विद्यालय ऑल इंडिया तालीगाबाद गिल्सी फाउंडेशन के अधिन संयोजित है। इस सोसाइटी / ट्रस्ट में किसी एक सदस्य व्यक्ति / परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्योरा दिया गया है तथा समय पर भी दिया गया है।

2. विद्यालय किसी अन्य निबंधित सोसाइटी / ब्यास के फ्रेंचाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नाम का उपयोग नहीं करने का दावा शपथ पत्र भी दिया गया है।

3. विद्यालय को सोसाइटी के द्वारा 2 एकड़ 11 डेो जमीन जमीन उपलब्ध कराई गई है। विद्यालय को ब्यास उपरकर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो स्थल निरीक्षण कर दूँ सुनिश्चित करना हो कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक अनुरूप हैं।

4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति सनाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया द्वारा करने का दावा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गई है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। विद्यालय में शिक्षक हैं। सी 04/0एस 0050, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानक के अनुरूप है।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जावे का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क, प्रोस्पेक्टर के माध्यम से विद्यालय सूचना पट से छात्रों को सूचना देकर अभिभावकों को सूचना देकर की जाती है। विद्यालय में अभिभावक गोष्ठी आयोजित की जाती है। विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंगोक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक किया जाता है।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे, विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 03-04-2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार हैं। अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

Principal
Milli Girls School
Talimabad Talimabad
Kishanganj, Bihar



Secretary
Milli Girls School
Talimabad Talimabad
Kishanganj

(क) विद्यालय में लगभग 25 प्रतिशत मामलों में जोरों में विद्यार्थी करने वाले परिवार के बच्चों का विस्तृत विद्या जायेगा तथा उनमें स्थायी शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विधवा, विधवा, तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिसकी आय अधिकतम 60,000/- (साठ हजार रुपये) प्रतिवर्ष होगी।

(ख) विद्यालय ने चरारी / के.जी. अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा / साक्षात्कार (यहाँ एवं भाता / पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन विद्यार्थी नामांकन से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(ग) चरारी / के.जी. तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवारा की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।

(घ) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनमें से जो आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

यद्यपि कि विद्यालय का विदेशी विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है, किन्तु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके विद्यार्थी नापटण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय को द्वारा अपनी सार्वजनिक के अनुसार अधिवार्थ एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख को प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बन्धित रद्द करने की कार्यवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक 18-01-2008 द्वारा शिक्षक / छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु, किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर मिल्ली गर्ल्स स्कूल, तालीमाबाद, टप्पु, तारावाड़ी चौक, किशनगंज को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बन्धित आपत्ति दी जाती है।

अवलोकन :- जि०शि०पद०, किशनगंज से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन,

ए.०

(उदय कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव

मानव संसाधन विकास विभाग, विहार, पटना।

पटना, दिनांक 03/08/20

ज्ञापक : 351

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, मिल्ली गर्ल्स स्कूल, तालीमाबाद, टप्पु, तारावाड़ी चौक, किशनगंज को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

(उदय कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव

31/8/20

Principal
Milli Girls School
Talimabad Tappu
Kishanganj, Bihar

Secretary
MILLI GIRLS SCHOOL
Talimabad Tappu Kishanganj